**मूल हिंदी में**

**भारत सरकार**
**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 5193**
**03.04.2023 को उत्तर के लिए**

**ई-अपशिष्ट की पहचान करने के लिए आकलन**

**5193. श्री अजय कुमार मंडल :**
**श्रीमती नवनित रवि राणा :**
**श्रीमती लॉकेट चटर्जी :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्रत्येक वर्ष उत्पन्न होने वाले ई-अपशिष्ट की पहचान करने के लिए कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत दो वर्षों के दौरान सृजित ई-अपशिष्ट का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कोई नीति बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त ई-अपशिष्ट संग्रहण के लिए अधिकृत एजेंसियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री**
**(श्री अश्विनी कुमार चौबे)**

(क) से (ग): ई-अपशिष्ट के सृजन का आकलन, अधिसूचित इलैक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (ईईई) के विक्रय डाटा और औसत जीवन पर आधरित होता है। सृजित ई-अपशिष्ट का इनपुट डाटा केवल राष्ट्रीय स्तर पर समेकित किया जाता है। सीपीसीबी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 में ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमावली, 2016 के तहत अधिसूचित इक्कीस (21) प्रकार के ईईई से देश में उत्पन्न ई-अपशिष्ट क्रमश: 13,46,496.31 टन और 16,01,155.36 टन अनुमानित था। देश में ई-अपशिष्ट के प्रबंधन को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमावली, 2016 और उसमें किए गए संशोधनों के कार्य ढांचे के तहत ई-अपशिष्ट का प्रबंधन किया जा रहा है। नियमावली 1 अक्तूबर, 2016 से प्रभावी है। नियमावली में निम्नलिखित का प्रावधान किया गया है:

- प्रत्येक विनिर्माता, उत्पादक, उपभोक्ता, थोक उपभोक्ता, संग्रहण केन्द्रों, डीलर्स, ई-रिटेलर, रिफर्निशर, भंजक और पुनर्चक्रक पर लागू हैं।
- विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) व्यवस्था के तहत उत्पादकों को अपने ईपीआर के कार्यान्वयन के लिए सीपीसीबी से ईपीआर प्राधिकार प्राप्त करना होगा और अपने भंजकों/पुनर्चक्रकों के विवरण प्रस्तुत करने होंगे
- अधिसूचित ईईई इक्कीस (21) प्रकार के हैं और उपर्युक्त नियमावली की अनुसूची-I में सूचीबद्ध हैं।
- ईपीआर व्यवस्था के तहत अधिसूचित ईईई के उत्पादकों को पूर्व में बेचे गए ईईई से उत्पन्न और ईईई की बिक्री, जैसा भी मामला हो, के आधार पर वार्षिक ई-अपशिष्ट संग्रहण के लक्ष्य दिए गए हैं।

(ii) मंत्रालय ने 2 नवंबर, 2022 को ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमावली, 2022 अधिसूचित की है। यह नियमावली 1 अप्रैल 2023 से ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमावली 2016 को प्रतिस्थापित करेगी। यह नियमावली ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण के लिए नई ईपीआर प्रणाली का प्रवर्तन करेगी। नई नियमावली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- प्रत्येक विनिर्माता, उत्पादक, रिफर्निशर, भंजक और पुनर्चक्रक पर लागू है।
- सभी विनिर्माताओं, उत्पादक, रिफर्निशर और पुनर्चक्रकों के लिए सीपीसीबी द्वारा विकसित पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अपेक्षित है।
- कोई भी संस्था बिना पंजीकरण के कोई कार्य नहीं करेगी और न ही किसी अपंजीकृत संस्था के साथ कार्य व्यवहार करेगी।
- अब प्राधिकार को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है और केवल विनिर्माता, उत्पादक, रिफर्निशर और पुनर्चक्रक के लिए पंजीकरण अपेक्षित है।
- पर्यावरण क्षतिपूर्ति और सत्यापन और लेखा परीक्षा के लिए प्रावधान लाए गए हैं।

(iii) पूरे देश में ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमावली 2016 के प्रवर्तन के लिए कार्य योजना मौजूद है और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। ई-अपशिष्ट कार्य योजना की स्थिति और प्रगति को अपलोड करने के लिए एक ई-अपशिष्ट प्रबंधन समीक्षा पोर्टल विकसित किया गया है।

(घ): ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमावली, 2016 के तहत ई-अपशिष्ट का संग्रहण प्राधिकृत भंजकों/पुनर्चक्रकों और उत्पादकों द्वारा व्यक्तिगत तौर पर या अपने प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं के माध्यम से किया जा सकता है। देश में ई-अपशिष्ट के 567 प्राधिकृत भंजक/पुनर्चक्रक और 2300 प्राधिकृत उत्पादक है। प्राधिकृत भंजकों/पुनर्चक्रकों और उत्पादकों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

*****

**अनुबंध-I**

**प्राधिकृत भंजकों/पुनर्चक्रकों और उत्पादकों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | प्राधिकृत भंजकों/पुनर्चक्रकों की संख्या | प्राधिकृत उत्पादकों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 10 | 10 |
| 2. | असम | 01 | 03 |
| 3. | छत्तीसगढ़ | 02 | 06 |
| 4. | दिल्ली | 06 | 633 |
| 5. | गुजरात | 40 | 93 |
| 6. | गोवा | 02 | 03 |
| 7. | हरियाणा | 42 | 201 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 02 | 08 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 03 | 01 |
| 10. | झारखंड | 02 | 01 |
| 11. | कर्नाटक | 72 | 182 |
| 12. | केरल | 01 | 62 |
| 13. | महाराष्ट्र | 140 | 553 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 03 | 16 |
| 15. | ओडिशा | 07 | 10 |
| 16. | पंजाब | 08 | 12 |
| 17. | राजस्थान | 27 | 27 |
| 18. | तमिलनाडु | 42 | 136 |
| 19. | तेलंगाना | 23 | 55 |
| 20. | उत्तर प्रदेश | 121 | 191 |
| 21. | उत्तराखंड | 08 | 09 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 05 | 75 |
| 23. | चंडीगढ़ | - | 06 |
| 24. | मेघालय | - | 01 |
| 25. | पुदुचेरी | - | 01 |
| 26. | दमन और दीव | - | 05 |
| | **कुल** | **567** | **2300** |